CGDU010016852026

IN THE COURT OF SPECIAL JUDGE (N.D.P.S. ACT) & 4th ADDITIONAL DISTRICT & SESSIONS JUDGE, DURG(C.G.)

(Presiding Officer Smt. Sunita Toppo)

Date of the Judgment **19-06-2026**

(Special Case NDPS No. **50/2026**)

(CNR No. CGDU010016852026)

F.IR. No. **176/2026,** Police Station-Chhawani, Durg(C.G.)

Complainant	State of Chhattisgarh Through - Police Station Chhawani, District Durg (C.G.)
Represented by	Shri Prakash Sharma (AGP)
Accused	**D. Sunita** W/o D. Mohan Age- 50 Years, Res.- Shitla mandir beside of chourasiya hotel, Camp-2 Bhilai P.S. Chawani , District-Durg (C.G.)
Represented by	Shri Ashok Rakhonde (Advocate)

FORM-E

Date of Offence	31-03-2026
Date of FIR	31-03-2026
Date of Charge Sheet	29-05-2026
Date of Framing of Charges	19-06-2026
Date of Commencement of Evidence	NA
Date of which judgment is reserved	NA
Date of judgement	19-06-2026
Date of the Sentencing Order, if any	19-06-2026

Accused Details:

Rank of the Accus-ed	Name of the accused	Date of arrest	Date of release of bail	Offence charged with	Whether acquitted or convicted	Sentence imposed	Period of detention undergone during trail for purpose of section 428 Cr.P.C.
1.	**D. Sunita**	31-03-2026	NA	20(B)NDPS Act.	convicted & Fine	02 Month, 19 Day R.I. & Fine 10,000/- Rs.	31-03-2026 to 19-06-2026

FORM-F

S.No.	Description	Page No.
1	Heading of Judgment	1
2	Appearance of Advocates	1
3	Charge	3
4	Admitted Facts	3
5	Prosecution Story	3-4
6	-------------	-
7	----------------	-
8	Reasons and findings	4-6
9	Sentence	6
10	Perid Of Detention & Set-Off	6
11	Disposal of Property	6
12	Order of Compensation	NA
13	Certificate under section 428 Cr.PC	8
14	Warrant of Commitment on a sentence (Imprisonment of fine)	9
15	Copy of Judgment	03

=// निर्णय //=

(आज दिनॉक 19/06/2026 को घोषित)

(01) अभियुक्ता **डी. सुनीता** के विरूद्ध स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (जिसे आगे **"एन.डी.पी.एस. एक्ट"** लिखा जावेगा) की धारा 20(ख)(ii)(ख) के तहत आरोप है कि उसने दिनांक 31.03.2026 को 13.40 बजे या उसके लगभग बैकुण्ठधाम दशहरा मैदान के पास, कैम्प–2 भिलाई, थाना छावनी, जिला दुर्ग के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत बिना किसी अनुज्ञप्ति या आज्ञापक के अपने आधिपत्य की एक सफेद रंग की प्लास्टिक झिल्ली के अंदर शुद्ध वजन 02 किलो 60 ग्राम मादक पदार्थ गांजा, को एन.डी.पी.एस. एक्ट के उपबंध तथा उसके अधीन बनाये गये नियम और आदेश के उल्लंघन में रखा ।

(02) प्रकरण में यह उल्लेखनीय तथ्य है कि यह निर्णय अभियुक्ता की स्वेच्छयापूर्वक जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर पारित किया जा रहा है ।

(03) अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में यह है कि थाना छावनी, जिला दुर्ग के उपनिरीक्षक दरबारी राम तारम को दिनांक 31.03.2026 को मुखबीर से सूचना प्राप्त हुयी कि बैकुण्ठधाम मंदिर के पास डी. सुनीता नामक महिला एक सफेद प्लास्टिक के थैला के अंदर मादक पदार्थ गांजा रखकर लोगों को बेच रही है । उक्त सूचना पर विधिवत् कार्यवाही हेतु घटनास्थल बैकुण्ठधाम दशहरा मैदान के पास, कैम्प–2 भिलाई पर जाकर घेराबंदी कर आरोपिया डी. सुनीता को पकड़कर पूछताछ किये । आरोपिया को मुखबिर सूचना से अवगत कराते हुए एनडीपीएस एक्ट की धारा 50 की नोटिस दी गयी और उनकी सहमति उपरांत आरोपिया के कब्जे की एक सफेद रंग की प्लास्टिक बोरी के अंदर शुद्ध वजन 02 किलो 60 ग्राम मादक पदार्थ गांजा को जप्त किया गया । जिसके संबंध में उसके पास कोई दस्तावेज नहीं थे । जप्ती की कार्यवाही के पश्चात्

जप्तशुदा मादक पदार्थ की विधिवत् सैंपलिंग की कार्यवाही कर सीलबंद किया गया । न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश कर जप्तशुदा मादक पदार्थ का इनवेन्ट्री एवं सेम्पलिंग की कार्यवाही करायी गयी ।

(04) आरोपिया के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने पर उसे गिरफ्तारी पंचनामा के द्वारा गिरफ्तार किया गया, गिरफ्तारी की सूचना आरोपिया के परिजनो को दी गयी गई । उसके पश्चात् घटना स्थल का नजरी नक्शा तैयार किया गया । घटना स्थल पर की गई कार्यवाही के संबंध में शून्य में देहाती नालिसी दर्ज की गई । मौके से सम्पूर्ण कार्यवाही के पश्चात् वापस थाना आकर सम्पूर्ण कार्यवाही का इंद्राज रोजनामचा में किया गया । तत्पश्चात् आरोपिया के विरूद्ध थाना छावनी के अपराध क्रं० 176/2026 अंतर्गत धारा 20(ख) एन.डी.पी.एस. एक्ट का अपराध पंजीबद्ध करते हुये प्रथम सूचना पत्र लेखबद्ध किया गया । प्रथम सूचना पत्र लिखने के पश्चात् की गई कार्यवाही का विस्तृत विवरण भेजा गया था । जप्त मादक पदार्थ गांजा को सुरक्षार्थ रखने के लिए मालखाना मोहर्रिर को सौंपा गया ।

(05) तत्पश्चात् कार्यालय पुलिस अधीक्षक, दुर्ग के माध्यम से जप्तशुदा पैकेटो को रासायनिक जांच परीक्षण हेतु राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला, दुर्ग में जमा किया गया और रिपोर्ट प्राप्त किया गया । गवाहों के कथन लेखबद्ध किये गये । आरोपिया के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य सबूत पाये जाने पर अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया ।

(06) प्रकरण में आरोपिया के विरूद्ध एन०डी०पी०एस० एक्ट की धारा 20(ख)(ii)(ख) के तहत् आरोप विरचित किया गया । अभियुक्ता को आरोप पत्र पढ़कर सुनाया व समझाया गया । अभियुक्ता ने उक्त अपराध स्वेच्छया स्वीकार किया ।

(07) अभियुक्ता की स्वीकारोक्ति के आधार पर अभियुक्ता डी. सुनीता के विरूद्ध स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी अधिनियम, 1985 की धारा 20(ख)(ii)(ख)

का अपराध प्रमाणित पाया जाता है । परिणामतः अभियुक्ता डी. सुनीता को एन०डी०पी०एस० एक्ट की धारा 20(ख)(ii)(ख) के अपराध में सिद्धदोष पाते हुए दोषसिद्ध किया जाता है । दण्ड के प्रश्न पर सुनने हेतु निर्णय थोड़ी देर के लिए स्थगित किया जाता है ।

SUNITA TOPPO Digitally signed by SUNITA TOPPO Date: 2026.06.19 17:30:55 +0530

(श्रीमती सुनीता टोप्पो)
विशेष न्यायाधीश (एन.डी.पी.एस.एक्ट),
दुर्ग (छ.ग.)

पुनश्चः–

(08) दण्ड के प्रश्न पर उभय पक्ष को सुना गया । अभियुक्ता के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अभियुक्ता का यह प्रथम अपराध है । अभियुक्ता 50 वर्षीय महिला है, उस पर उसकी तीन नाबालिक पुत्रियां आश्रित हैं । वह दिनांक 31.03.2026 से आज दिनांक 19.06.2026 तक न्यायिक अभिरक्षा में लगभग 02 माह से अधिक की अवधि तक रह चुकी हैं । अतः उसे कम से कम दण्ड से दण्डित किया जावे । विशेष लोक अभियोजक ने निवेदन किया कि अभियुक्ता के कब्जे से शुद्ध वजन 02 किलो 60 ग्राम गांजा की जप्ती हुआ है, अतः अभियुक्त को कड़े से कड़े दण्ड से दंडित किया जावे ।

(09) उभय पक्ष के तर्क एवं निवेदन पर विचार किया गया । प्रकरण की परिस्थितियों को देखा जावे तो अभियुक्ता ने स्वापक औषधि तथा मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के उपबंध तथा उनके अधीन बनाये गये नियम एवं आदेश के उल्लंघन में 02 किलो 60 ग्राम मादक पदार्थ गांजा को अवैध रूप से अपने आधिपत्य में रखा था । उक्त मात्रा वाणिज्यिक मात्रा से कम होते हुए लघु मात्रा से थोड़ा ही अधिक है । अभिलेख के अवलोकन से अभियुक्ता के विरूद्ध एक अन्य अपराध भी दर्ज होना दर्शित है, किन्तु अभियुक्ता के विरूद्ध उसकी पूर्व दोषसिद्धि के संबंध में कोई तथ्य

विद्यमान नहीं है । अभियुक्ता दिनांक 31.03.2026 से दिनांक 19.06.2026 तक लगातार न्यायिक अभिरक्षा में निरुद्ध रही हैं । परिणामतः अपराध की प्रकृति व गंभीरता, जप्तशुदा मनःप्रभावी पदार्थ की मात्रा तथा अभियुक्ता के द्वारा की गयी स्वेच्छिक जुर्म स्वीकारोक्ति को दृष्टिगत रखते हुये अभियुक्ता को एन०डी०पी०एस० एक्ट की धारा 20(ख)(ii)(ख) के अपराध में उसके द्वारा अभिरक्षा में व्यतीत अवधि दिनांक 31.03.2026 से दिनांक 19.06.2026 तक (कुल 02 माह, 19 दिवस) के सश्रम कारावास एवं 10,000 (दस हजार) रूपये के अर्थदंड से दंडित किया जाता है ।

(10) अभियुक्ता द्वारा जुर्माने की राशि अदा करने में व्यतिक्रम किये जाने पर वह 01 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतने की दायी होगी ।

(11) अभियुक्ता इस प्रकरण में दिनांक 31.03.2026 से दिनांक 19.06.2026 तक न्यायिक अभिरक्षा में रही हैं । इस संबंध में पृथक से धारा 428 दं. प्र.सं. का प्रमाण पत्र तैयार किया जाए ।

(12) प्रकरण में अभियुक्ता की ओर से प्रस्तुत मुचलके अंतर्गत धारा 437(ए) दं०प्र०सं०, 06 माह के लिए प्रभावशील रहेगा ।

(13) प्रकरण में जप्तशुदा शुद्ध वजन 02 किलो 60 ग्राम मादक पदार्थ गांजा में से प्रत्येक से 50–50 ग्राम के सेम्पल पैकेटों को छोड़कर शेष मादक पदार्थ गांजा के संबंध में एन.डी.पी.एस. एक्ट की धारा 52(क) के तहत् जारी अधिसूचना क्रमांक सा.क.नि.38(अ) दिनांक 16 जनवरी 2015 के अनुसार कार्यवाही करने हेतु गठित ''औषधि व्ययन समिति'' को व्ययन हेतु प्रेषित किया जाये । इस संबंध में संबंधित थाने को ज्ञापन जारी कर पावती प्राप्त कर प्रकरण में संलग्न की जाये । अपील होने की दशा में इसका निराकरण माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार किया जावे ।

(14) निर्णय की एक प्रति अभियुक्ता को निःशुल्क प्रदाय किया जावे तथा एक प्रति जिला दण्डाधिकारी दुर्ग को भेजी जाये ।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित,
हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया ।

मेरे निर्देशन में टंकित किया गया ।

SUNITA TOPPO Digitally signed by SUNITA TOPPO Date: 2026.06.19 17:31:04 +0530
(श्रीमती सुनीता टोप्पो)
विशेष न्यायाधीश, (एन०डी०पी०एस०)
जिला–दुर्ग (छ.ग.)

SUNITA TOPPO Digitally signed by SUNITA TOPPO Date: 2026.06.19 17:31:12 +0530
(श्रीमती सुनीता टोप्पो)
विशेष न्यायाधीश, (एन०डी०पी०एस०)
जिला–दुर्ग (छ.ग.)

स्थान – दुर्ग, (छ०ग०)
दिनांक –19.06.2026

// धारा 428 दं. प्र. स. के तहत प्रमाण पत्र //

क्रं.	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी दिनांक	अभिरक्षा अवधि
1.	डी. सुनीता पति स्व० डी. मोहन, उम्र 50 वर्ष, निवासी– शीतला मंदिर चौरसिया होटल के पीछे, कैम्प–2 भिलाई, थाना छावनी, जिला दुर्ग (छ.ग.)	31.03.2026	दिनांक 31.03.2026 से 19.06.2026 तक (कुल 02 माह, 19 दिवस)

SUNITA TOPPO Digitally signed by SUNITA TOPPO Date: 2026.06.19 17:31:21 +0530

स्थान – दुर्ग, (छ०ग०)
दिनांक –19.06.2026

(श्रीमती सुनीता टोप्पो)
विशेष न्यायाधीश (एन०डी०पी०एस०),
जिला–दुर्ग (छ०ग०)